न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—285/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री लालूराम पिता भवानीराम बैरवा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम

1. श्रीमति जेती पुत्री मांगीलाल जाट निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. पुजा पुत्री ईश्वर प्रसाद शर्मा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. प्रेम पुत्री मांगीलाल जाट निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. प्रहलाद पुत्र डालु जाट निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. पिन्टु कुमार पिता भगवान लाल विश्नोई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
6. मगनी पत्नि मांगीलाल जाट निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
7. मन्जु पुत्री डाली जाट निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
8. मन्जु पत्नि ईश्वर प्रसाद शर्मा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
9. रतनलाल पिता मांगीलाल जाट निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
10. रामपाल पिता शंकरलाल जाट निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
11. ललिता पुत्री डाली खारोल निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
12. विकास पुत्र ईश्वर प्रसाद शर्मा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
13. विमला पुत्री डाली खारोल निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
14. सुरेश पुत्र डाली खारोल निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
15. सुरेश पिता भैरूलाल राजोरा(तेली निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
16. स्वाति पुत्री ईश्वर प्रसाद शर्मा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
17. सायरी पत्नि घीसा खारोल निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
18. सोनिया पुत्री डाली खारोल निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1—अधिवक्ता प्रार्थी श्री मांगीलाल सैन

2—अधिवक्ता विपक्षी सं. 01 व 02 श्री एस0एल0 आगाल

3—विपक्षी संख्या 03 से 16 व 18 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांकः—19.03.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की आराजियात ग्राम पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर आराजी नम्बर 4751 रकबा 0.6196 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर 30 फीट का रास्ता विपक्षीगण की शामलाती आराजी संख्या 4747 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि में मौके पर वर्षो से विद्यमान है जिसमे होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में प्रवेश करते है प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 4751 में प्रवेश हेतु मौके व नक्शा विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि 4446/1, 4747/1 से प्रारम्भ होकर आराजी नम्बर 4747 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि मे पश्चिमी दिशा में मौके पर विद्यमान 30 फीट चौडाई का रास्ता है जिसका

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि की हंकाई बुवाई कृषि उपकरण ट्रेक्टर व बैलगाडी लाने ले जाने हेतु उपयोग मे लेते आ रहे है जो कि मौके पर विद्यमान जिसे इस प्रार्थना में साथ प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शे में लाल स्याही से ए से बी स्थान से प्रदर्शित कर दर्शाया है नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अंग है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 4751 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 4747 में पश्चिम दिशा में स्थित 30 फीट की चौडाई का रास्ता जो कि मौके पर विद्यमान है जिसे प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में नया मार्गाधिकार के रूप मे दर्ज करवाना चाहते है जिसके लिए रास्ता में अवाप्त कर रकबा की गणना कर अवाप्त सुदा रकबा नियमानुसार माप कर सीमांकन कर डीएलसी दर से राशि जमा कराने के लिए तेयार है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को उक्त रास्ता में राजस्व रेकार्ड व नक्शा में अंकित किया जाने हेतु कई बार विपक्षीगण को निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण टालमटोल करते रहे अंतिम बार प्रार्थी ने दिनांक 5.06.2022 को निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण ने इन्कार कर दिया व मौके पर कच्चा मेटेरियल सिमेन्ट, पत्थर ईटे डालकर नीवें खोदकर रास्ता को बन्द करना चाहते है जिसे रोका जाना हेतु निषेधाज्ञा जारी कराई जाने व रास्ता रेकार्ड व नक्शा में नया मार्ग के रूप में दर्ज किया जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम पुर प0ह0 पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 4751 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 4747 रकबा 0.1138 हैक्टेयर में पश्चिम दिशा में स्थित 30 चौडाई का रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित करा बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 01 व 2 का जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया। अन्य विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की आराजियात ग्राम पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर आराजी नम्बर 4751 रकबा 0.6196 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में काश्त करने हेतु आने जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने एवं फसल काश्त करने हेतु मौके पर 30 फीट का रास्ता विपक्षीगण की शामलाती आराजी संख्या 4747 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि में मौके पर वर्षो से विद्यमान है जिसमे होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में प्रवेश करते है प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 4751 में प्रवेश हेतु मौके व नक्शा विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि 4446/1, 4747/1 से प्रारम्भ होकर आराजी नम्बर 4747 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि मे पश्चिमी दिशा में मौके पर विद्यमान 30 फीट चौडाई का रास्ता दर्ज कराया जाकर रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से गणना करा मुआवजा का निर्धारण कर जमा कर विपक्षीगण के खाते में से रास्ते हेतु भूमि दर्ज कराई जाने की प्रार्थना की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीलवाडा से निम्न बिन्दुओ पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थी/प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे :– प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। (नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है)
2. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावे :– तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है एंव प्रस्तावित किया गया है।
3. यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी की आराजियात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी रास्ते की भूमि की एवज में प्रार्थी की आराजियात नही चाहते है।
4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामे से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करे एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावे :– तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये सूचना पत्र सूचित किया गया, आपसी सहमति से रास्ता देने बाबत सहमति नही बनी प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 4747 रकबा 0.0050 हैक्टेयर बनती है। मौका पर्चा संलग्न है।
5. सहमति नही होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल (लम्बाई X चौडाई) एवं क्षैत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षैत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें।(मय पर्चा मौका):–तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम है, रास्ते की लम्बाई एक बिन्दु पर व एक पर 16 फीट व चौडाई 32 फीट है। उक्त भूमि की डीएलसी दर 11769161/– रूपये प्रति हैक्टेयर है, प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी दर से दुगुना करने पर 117692/– रूपये बनती है। (मौका पर्चा, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस संलग्न है)

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 4751 पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 की आराजी संख्या 4747 से रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थी उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नं0 4747 विपक्षी संख्या 01 से लगायत 18 की खातेदारी कृषि भूमि है। अतः मौजा पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी संख्या 4751 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–.ख कोई कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

9. यह अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक, को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फीट नीचे पाईप लाईप बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नही किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विधमान मार्ग को तीस फीट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहॉ उप–धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने को अधिकार मंजूर किया जाय वहॉ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेंगे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर भू.अ.नि. पुर तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरूनी स्थित है जिसके आराजी नं0 4751 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 से लगायत 18 की मौजा पुर के आ.नं. 4747 में से लम्बाई एक बिन्दु पर व एक पर 16 फीट व चौडाई 32 फीट का कुल क्षेत्रफल 0.0050 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक रास्ते हेतु स्वीकृत की जाती है। उक्त भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से राशि जो डीएलसी दर का दोगुना करने पर 117692—00 राशि रूपये जो कि अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 देय है को जरिये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से 18 के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के समक्ष आवेदन के साथ पेश करने की अवस्था में उक्त राशि अदायगी हेतु तीस योम की अवधि का नोटिस जारी करे उक्त नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अर्थात 30 दिवस की अवधि के भीतर भीतर विपक्षी उक्त रकम का डिमाण्ड ड्राफ्ट तहसीलदार भीलवाडा के प्राप्त करने हेतु जरिये आवेदन उपस्थित नही होता है तो ऐसी स्थिति में अविलम्ब उक्त बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

([illegible] सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा